केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

राजभाषा अनुभाग

सं. 20-3/12/16-राभा

विषय Sub - राजभाषा हिंदी संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट का संशोधित प्रपत्र !

Proforma of the Official Language Progress Report.

प्रत्येक तिमाही के अंत में संस्थान की राजभाषा प्रगति की तिमाही रिपोर्ट सीएसआईआर भेजी जाती है तथा इस पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में विचार किया जाता है । संस्थान के सभी अनुभागों/प्रभागों के प्रमुखों से अनुरोध किया जाता है कि अपने अनुभाग/प्रभाग की हिंदी प्रगति रिपोर्ट नए प्रपत्र में भरकर भिजवाने की कृपा करें (प्रपत्र संलग्न) । रिपोर्ट के संबंध में कृपया ध्यान दें कि -

1. पुराने प्रपत्र में रिपोर्ट भेजने पर इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
2. राकास के निर्णय के अनुसार रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों से संबंधित अनुभाग/प्रभाग के आंतरिक डाक व प्रेषण रजिस्टर के संगत पृष्ठों की फोटोप्रतियां रिपोर्ट के साथ लगानी अपेक्षित हैं ।
3. कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि रिपोर्ट में कोई भी स्थान खाली नहीं छोड़ा गया है ।
4. प्रोफार्मा के बिंदु सं. 02 के अंतर्गत हिंदी में 75 % से अधिक एवं 100 प्रतिशत कार्य करने वाले अधिकारियों के नाम अलग से दर्शाए जाएं ताकि संस्थान की समेकित रिपोर्ट में हिंदी के उल्लेखनीय कार्यों का ब्यौरा दिया जा सके ।
5. प्रोफार्मा के बिंदु 3 के अंतर्गत हिंदी में काम करने वाले उच्च स्तर के अधिकारियों की संख्या व उनके हिंदी कार्य का ब्यौरा/प्रतिशत देना अपेक्षित होगा । बिंदू 2 व 3 के संदर्भ में पूर्ण विवरण प्रपत्र के अंतिम खाली पृष्ठ पर दर्शाया जाए ।
6. प्रोफार्मा के बिंदु 19 के अंतर्गत हिंदी में किए गए ऐसे काम/उपलब्धियों का विवरण दिया जा सकता है जिनकी जानकारी रिपोर्ट में सम्मिलित नही हो पाई हो ।
7. कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रोफार्मा के अंतिम पृष्ठ पर रिपोर्ट भरने वाले संपर्क अधिकारी तथा अनुभाग/प्रभाग के प्रमुख, दोनों के नाम, हस्ताक्षर एवं तिमाही के दौरान हिंदी में किए गए कार्य का प्रतिशत अवश्य दर्ज किया जाए ।
8. रिपोर्ट भेजने से पूर्व प्रभागीय प्रमुख इसकी जांच कर लें कि रिपोर्ट में दी गई सूचना हर प्रकार से पूरी और सही है तथा अनुभाग/प्रभाग में रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर दी जा रही है ।

(संजय चौधरी)
हिंदी अधिकारी

प्रतिलिपि Copy to –

सभी अनुभागों/प्रभागों के प्रमुख All Sectional/Divisional Heads